

2-16

प्रेषक,

बी०डी०बेलवाल,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-9

देहरादून: दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

विषय:- गढ़वाली फिल्म "बड़ांग" को मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० आमोद और पणकर अधिनियम-1979 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा-11(1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय गढ़वाली फिल्म "बड़ांग" को प्रथम प्रदर्शन की तिथि से दो माह तक शत-प्रतिशत मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने की राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 (यथावत् उत्तराखण्ड में लागू) तथा आमोद एवं पणकर नियमावली 1981 के नियम/प्राविधानों के अधीन होगी तथा उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

3- निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

4- प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी, आयुक्त कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को यथासमय देना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(बी०डी०बेलवाल)
अनु सचिव।

संख्या 220(1)/2016/XXVII(9)/मनोरंजन-17/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर निदेशक/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।


(बी०डी०बेलवाल)
अनु सचिव।